Committee Report on Employees' State Insurance Corporation (ESIC) and Employees' Provident Fund (EPF) arrears;

(b) if so, which are the recommendations accepted by Government so far; and

(c) by when the remaining recommendations of the Committee are likely to be accepted by Government?

THE MINISSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

अहमदाबाद की रामकृष्ण मिल को कामगारों की सहकारी समिति के सुपुर्द किए जाने संबंधी फैसला

45. **श्री चिमनभाई मेहता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद की रामकृष्ण मिल को कामगारों की सहकारी समिति के सुपुर्द कर देने का निर्णय सुनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दिया जाना।

46. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी द्वारा सहायता प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित "अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संबंधी उन्मूलन कार्यक्रम", जो कि अधिकांशतः जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त है, के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के कल्याण एवं बाल श्रम उन्मूलन के लिए परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।